न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : भागीरथ राम, आर.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2024/38
दायरा तिथि : 15-01-2024
आदेश तिथि : 15-01-2024
प्रार्थीगण :–

1. कीकाराम पुत्र बुदाराम
2. गमनाराम दत्तक पुत्र भुराराम जातिगण सीरवी निवासीगण बाली

ब ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

**आदेश** दिनांकः 15-01-2024

**प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है:– प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहसीलदार बाली, नायब तहसीलदार बाली, भू–अभिलेख निरीक्षक बाली एवं पटवारी हल्का बाली की अभिशंषा सहित प्राप्त हुआ। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में ग्राम बाली स्थित खातेदारी भूमि खसरा नंबर 251, 252 में जाने हेतु एक रास्ता सादडी–फालना डामर सडक से खसरा नंबर 250 में से होता हुआ खसरा नंबर 251 में आता है, उक्त रास्ता नक्शा लट्ठा तथा सैटलमेंट शीट में डॉटेड लाईन से दर्शाया हुआ था उक्त डॉटेड लाईन वाले रास्ते को सेग्रीगेशन के दौरान राजस्व नक्शे में दर्ज नहीं किया है जिसको शुद्ध कर पूर्व रेकर्ड अनुसार नये नक्शे में पुनः दर्शित करने हेतु निवेदन किया है।

इस संबंध में तहसीलदार बाली ने जांच प्रतिवेदन मय पटवारी हल्का की मौका फर्द रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के पेश की है। प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार सरहद मौजा बाली के हाल खसरा नंबर 251, 252 में एक रास्ता जो सादडी–फालना डामर सडक से खसरा नंबर 250 में से होता हुआ खसरा नंबर 251 में जाता है। रास्ता वर्तमान में मौके पर शुरू है। यह रास्ता नक्शा लट्ठा में डॅाटेड लाईन से दर्शाया गया है तथा सेटलमेंट शीट में भी डॉटेड लाईन से दर्शाया हुआ है। सेग्रीगेशन के दौरान उक्त डॉटेड लाईन वाला रास्ता राजस्व नक्शे शीट में दर्ज नहीं हुआ है। जिसको तहसीलदार बाली, नायब तहसीलदार बाली, भू–अभिलेख निरीक्षक बाली एवं पटवारी हल्का बाली ने त्रुटि स्वीकार करते हुये दुरस्त करने की मांग की है तथा जिसको दुरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माफिक रिपोर्ट नक्शे में ग्राम बाली के खसरा नंबर 250, 251, 252 में रास्ता नक्शा डॉटेड लाईन की शुद्धि के आदेश दिये जाते है। उक्त रास्ता खातेदार के नाम ही दर्ज रहेगा तथा किस्म गैर मुमकिन रास्ता रहेगा। लम्बाई व चौडाई मूल सैटलमेंट शीट में दर्शाई गई डॉटेड लाईन के अनुसार ही रखते हुये तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पटवारी हल्का बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को आदेश का भाग माना जावे। आदेश प्रति तहसीलदार बाली व पटवारी हल्का बाली को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(भागीरथ राम)
उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला–पाली) राज.

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी * बाली, जिला - पाली *

क्रमांक/कोर्ट/2024/88-89 दिनांक 16-01-2024
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ–

1. तहसीलदार, बाली
2. पटवारी हल्का, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला–पाली) राज.